सचिका स0–7 / बजट–46–21 / 2023 – 69 (7)
बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा मे,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना ।

द्वारा:– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार ।

पटना, दिनाक– 06 / 06 / 2025

विषयः– वित्तीय वर्ष 2023–24 में किशनगंज जिलान्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, छत्तरगाछ के भवन निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा प्राप्त तकनीकी अनुमोदित मॉडल प्राक्कलन के आधार पर, रू० 8,98,24,000 /– (रुपये आठ करोड़ अन्ठानवे लाख चौबीस हजार) मात्र की योजना (स्कीम) की प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2025–26 में रू० 2,00,00,000 /–(रूपये दो करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना), बिहार चिकित्सा सेवाये एव आधारभूत संरचना निगम, पटना के पत्रांक–33, दिनांक–03.04.2023 द्वारा प्राप्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2023–24 में किशनगंज जिलान्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, छत्तरगाछ के भवन निर्माण हेतु कुल रू० 8,98,24,000 /– (रुपये आठ करोड अन्ठानवे लाख चौबीस हजार) मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय राज्यादेश सख्या–430(7), दिनाक–16.01.2024 द्वारा प्रदान की गयी थी। तद्क्रम में वित्तीय वर्ष 2025–26 मे रू० 2,00,00,000 /–(रूपये दो करोड) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2– उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा स्वास्थ्य विभागीय राज्यादेश स0–430(7), दिनांक–16.01.2024 मे निहित्त शर्तो के आधार पर किया जायेगा।

3– यह कार्य माग स0–20 के अतर्गत राज्य योजना बजट मुख्य शीर्ष–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष–02–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ, लघु शीर्ष–103–प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उपशीर्ष–0101– रेफरल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण एव जीर्णोद्धार, विपत्र कोड–20-4210021030101, विषय शीर्ष–(53 01) मुख्य निर्माण कार्य अतर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा ।

4– इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

5– अवर सचिव–सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म–46 मे तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नहीं बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत सरचना निगम लि०, पटना को उपलब्ध करायेंगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट स0–PBBPLA007 विपत्र कोड–00-8448001110002-0001 के अन्तर्गत ledger ID------------ में जमा कर राशि का खर्च विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए करेंगे।

6– बिहार चिकित्सा सेवाये एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना पी०एल० एकाउन्ट का धन ऋण ज्ञापन (Plus-Minus Memoranda) तथा पी०एल० खाते में प्राप्ति का चालान एवं व्यय के सुसगत वाउचर/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विहित प्रपत्र मे ससमय कोशागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेंगे एवं इसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे।

7– राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561/वि0(2),दिनांक–17.04.98, 2880/वि0(2), दिनाक–06.05.06, 2938/वि0(2), दिनांक–08 04 08, 3758/वि0, दिनांक–31.05. 2017, 7111/वि०(2), दिनांक–28.07 2022 एवं 12888/वि0, दिनांक–03.12.2024 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

8– राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी ।

9– प्रस्ताव एवं प्रारूप में अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

10-- प्रारूप मे आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–7/बजट–46–21/2023 के पृष्ठ–21/टि0 मे प्राप्त है ।

11– यह मात्र स्वीकृत्यादेश है आवंटन CFMS के माध्यम से निर्गत किया जायेगा।

12– संबंधित प्रस्ताव मे महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

5/6/25

(शंभु शरण)
सरकार के अपर सचिव ।
Alpana

ज्ञापाक– 69 (7) /स्वा0, पटना, दिनाक– 06/06/2025

प्रतिलिपि–योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमडलीय आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल/प्रबध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत सरचना निगम लि०, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना/जिला पदाधिकारी, किशनगज/ क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाए, पूर्णियां प्रमंडल/असैनिक शल्य चिकित्सक– सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, किशनगज/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–7, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

5/6/25
सरकार के अपर सचिव ।
Alpana